

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग,
मंत्रालय

कर्मोंक १०१ /आर. 147/चार/ब-7/ 2018
प्रति,

भोपाल दिनांक 6/03/2018

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग,
मंत्रालय भोपाल ।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2017-18 में मितव्ययता के संबंध में ।
संदर्भ :- वित्त विभाग का परिपत्र कर्मोंक - 08/2018/डीएमसी/ब-7/चार, भोपाल दिनांक
02/01/2018

000

संदर्भित परिपत्र की कण्डिका 1(3) के अंतर्गत निम्न निर्देश जारी किये गये थे :-

“ वर्ष 2017-18 में कार्यालय व्यय (बिजली एवं जल प्रभार, दूरभाष, किराया महसूल एवं कर छोड़कर) अंतर्गत भुगतान वर्ष 2016-17 के लिये विभाग में इस मद अंतर्गत समग्र व्यय की सीमा तक सीमित रखा जाये।”

2. इसके पश्चात् वित्त विभाग के परिपत्र कर्मोंक-83/16/चार/ब-1/2018 दिनांक 23/01/2018 द्वारा रुपये 5,000/- तक डाक टिकिट एवं आकस्मिक व्यय, शासकीय प्रेस की डायरी एवं कैलेण्डर तथा चिकित्सालयों में उपचार कार्य में आने वाली सामग्री, लिनिन, गॉज, बैण्डेज, पट्टी, रिऐजेंट एवं अन्य सामग्री, जो उपचार के उपयोग में लाई जाती है, को प्रतिबंध से शिथिलता दी गई थी ।

3. उपरोक्त निर्देशों (कण्डिका 1 एवं 2) में शामिल मदों के साथ-साथ उद्देश्य शीर्ष -22 - कार्यालय व्यय के अंतर्गत - पुस्तकें एवं नियतकालिक पत्रिकाएं, वर्दियां, लेखन सामग्री एवं फार्म, पेट्रोल, तेल आदि तथा आतिथ्य पर व्यय को भी इस प्रतिबंध से शिथिल किया जाता है ।

2/- संदर्भित परिपत्र के शेष प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगे ।




(अजीत कुमार)

संचालक, बजट एवं सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल
भोपाल दिनांक 6/03/2018

पृ०कर्मोंक २१० /आर. 147/चार/ब-7/ 2018
प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, भोपाल की ओर सूचित ।
2. समस्त बजट शाखायें वित्त विभाग ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।


(रूपेश पठवार)

अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग